UPMZ010075982019

न्यायालय Addl.Distt and Sess. Judge Court No-4/Special Judge (E.C. Act), Muzaffarnagar

पीठासीन अधिकारी–(ANURAG PANWAR), (उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP02638

सत्र परीक्षण संख्या–568/2019

उत्तर प्रदेश सरकार ... अभियोजन पक्ष।

बनाम

बाली पुत्र मानसिंह, निवासी–ग्राम मलकपुर, थाना–पुरकाजी, जिला–मुजफ्फरनगर।
... अभियुक्त।

मु0अ0सं0–149/2018,
धारा–306, 323 भा0द0सं0,
थाना–पुरकाजी, जिला–मुजफ्फरनगर।

<u>निर्णय</u>

1– थाना–पुरकाजी, जिला–मुजफ्फरनगर की पुलिस द्वारा अभियुक्त बाली के विरुद्ध मु0अ0सं0–149/2018, धारा–306, 323 भा0द0सं0 के अन्तर्गत आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित करने पर प्रस्तुत वाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं0–1, मुजफ्फरनगर द्वारा दिनांक 30–05–2019 को न्यायालय सत्र सुपुर्द किया गया तथा सत्र न्यायालय के आदेशानुसार यह सत्र परीक्षण अन्तरण द्वारा प्राप्त होने पर इस न्यायालय द्वारा विचारण प्रारम्भ किया गया।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि वादी मुकदमा मनोज द्वारा दिनांक 28–04–2018 को थानाहाजा पर इस आशय का मुकदमा दर्ज कराया गया कि "आज दिनांक 28–04–2018 को समय करीब 5 बजे शाम उसके मामा मामचन्द पुत्र प्रहलाद, निवासी–ग्राम ढिनाइन, थाना–शाहपुर, जिला–मु0नगर, जो उसके घर पर दो–तीन माह से रह रहे थे, को ग्राम–मलकपुर का बाली पुत्र मानसिंह पकड कर मारता–पिटता घर लेके आया और घर पर छोड दिया। उसके मामा मामचन्द ने कमरे में अन्दर जाकर दुखी होकर पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली है, जिसकी फांसी (फंदे) को ही बाली ने ही आकर काटा रिपोर्ट कराने आया मृतक का शव कमरे में पडा है। उक्त तहरीर के आधार पर मुकदमा कायम हुआ और कार्यवाही अमल में लायी गयी, जो तहरीर <u>प्रदर्श क–1</u> है।

3– वादी मुकदमा के उपरोक्त तहरीर <u>प्रदर्श क–1</u> के आधार पर थाना–पुरकाजी, जिला–मुजफ्फरनगर में मु0अ0सं0–149/2018, धारा–306, 323 भा0द0सं0 के अन्तर्गत दिनांक 28–04–2018 को अभियुक्त बाली के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया जाकर मूल

Digitally signed by ANURAG PANWAR
Date: 2026.07.03 12:28:29 IST
Reason: Judgement
Location: A.S.J. Court No.4/Spl. Judge (E.C. Act), Mzn

चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट किता की गयी, जिसका इन्द्राज उसी दिन जी0डी0 प्रदर्श क–7 में किया गया।

4– प्रकरण की विवेचना की गयी। दौरान विवेचना विवेचक ने वादी मुकदमा व गवाहान के बयान अंकित किये तथा विवेचक द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करके नक्शा–नजरी तैयार किया गया। सम्पूर्ण विवेचना के उपरान्त विवेचक द्वारा अभियुक्त बाली के विरुद्ध भा0दं0सं0 की धारा–306, 323 भा0दं0सं0 का अपराध पाते हुये, आरोप–पत्र प्रदर्श क–13 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

5– दिनांक 04–11–2016 को अभियुक्त बाली न्यायालय में उपस्थित आया तथा न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध धारा–306, 323 भा0दं0सं0 का आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त द्वारा आरोप से इंकार किया तथा विचारण चाहा गया।

6– अभियोजन द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित साक्षीगण को प्रस्तुत कराया गया है:–

1	वादी मुकदमा मनोज	पी0डब्लू0–1
2	श्रीमति राधिका	पी0डब्लू0–2
3	श्रीमति ब्रिजेश	पी0डब्लू0–3
4	रामेश्वर	पी0डब्लू0–4
5	डा0 बाबूराम	पी0डब्लू0–5
6	एच0एम0–149 शिरोमणि	पी0डब्लू0–6
7	विवेचक उ0नि0 तेजवीर सिंह	पी0डब्लू0–7

7– अभियोजन द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित प्रपत्र प्रस्तुत किये गये है:–

क्र0	प्रपत्र	प्रदर्श	साक्षी
1	तहरीर	प्रदर्श क–1	पी0डब्लू0–1
2	शपथ–पत्र वादी मुकदमा मनोज	प्रदर्श क–2	पी0डब्लू0–1
3	शपथ–पत्र श्रीमति राधिका	प्रदर्श क–3	पी0डब्लू0–2
4	शपथ–पत्र श्रीमति ब्रिजेश	प्रदर्श क–4	पी0डब्लू0–3
5	पोस्ट मार्टम रिपोर्ट मृतक मामचन्द	प्रदर्श क–5	पी0डब्लू0–5
6	चिक एफ0आई0आर0	प्रदर्श क–6	पी0डब्लू0–6
7	जी0डी0	प्रदर्श क–7	पी0डब्लू0–6
8	नक्शा–नजरी	प्रदर्श क–8	पी0डब्लू0–7
9	पंचायतनामा मृतक मामचन्द	प्रदर्श क–9	पी0डब्लू0–7
10	चिट्ठी आर0आई	प्रदर्श क–10	पी0डब्लू0–7

11	पुलिस प्रपत्र	प्रदर्श क–11	पी0डब्लू0–7
12	चालान प्रपत्र–39 फोटो नाश	प्रदर्श क–11ए	पी0डब्लू0–7
13	पुलिस प्रपत्र	प्रदर्श क–11बी	पी0डब्लू0–7
14	चिट्ठी सी0एम0ओ0	प्रदर्श क–12	पी0डब्लू0–7
15	आरोप–पत्र	प्रदर्श क–13	पी0डब्लू0–7
16	गिरफ्तारी प्रपत्र	प्रदर्श क–14	पी0डब्लू0–7
17	गिरफ्तारी से सम्बन्धित जी0डी0	प्रदर्श क–15	पी0डब्लू0–7
18	शपथ–पत्र रामेश्वर	प्रदर्श ख–1	पी0डब्लू0–4

8– अभियोजन की ओर से अभियोजन कथानक एवं घटना को साबित करने के लिये परीक्षित कराये गये पी0डब्लू0–1 मनोज द्वारा सशपथ बयान किया गया है कि मृतक मामचन्द उसका मामा था, जो घटना के समय उसके गांव में उसके घर पर ही रहता था। घटना दिनांक 28 अप्रैल 2018 की है। शाम के 5 बजे का समय था। तभी हाजिर अदालत मुल्जिम बाली पुत्र मान सिंह उसके मामा को पकड कर मारता–पीटता हुआ उनके घर आया और उनके घर पर छोड दिया तथा अन्दर जाकर बात करने के लिए कहा और बाली ने उसके मामा को अन्दर कमरे में ले जाकर गला घोट कर मार दिया। उसने इस घटना की तहरीर अंकित कुमार से लिखवाकर थाना–पुरकाजी पर दी थी। गवाह ने तहरीर को देखकर कहा कि यह वही तहरीर है, जो उसके बोलने पर अंकित कुमार ने लिखी थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर है, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। दिनांक 08–05–2018 को उसने एक टाईपशुदा शपथ–पत्र एस0एस0पी0 को दिया था, जो पत्रावली पर संलग्न कागज सं0–14क/2 ता 14क/3 है, जो नोटरी द्वारा सत्यापित है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा उसका फोटा चस्पा है। वह इसकी शिनाख्त करता है, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। प्रदर्श क–2 में जो टाईपशुदा है, वो उसके बोलने पर ही टाईप वाले ने टाईप किया था, जो उसकी जानकारी में है तथा जो सही है और यह शपथ–पत्र उसने अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के दिया था। इसमें जो कुछ भी लिखा है, वह सच है।

9– पी0डब्लू0–2 श्रीमति राधिका द्वारा सशपथ बयान किया गया है कि घटना आज से लगभग 2 साल 10 माह पुरानी है। गेहूँ की कटाई का मौसम था। हाजिर अदालत मुल्जिम बाली को देखकर गवाह ने कहा कि वह इसे जानती है और पहचानती है। जिस दिन घटना हुई उस दिन वह अपनी ससुराल मलकपुरा में घटर पर मौजूद थी। मृतक मामचन्द उसके पति के मामा लगते थे, जो उसकी सास ब्रिजेश के भाई थे। घटना वाले दिन हाजिर अदालत मुल्जिम बाली मामा मामचन्द को मारते–पीटते हुए घर पर लेकर नहीं आये और न ही उसके सामने उसने कोई गाली–गलौच मामा

मामचन्द के साथ की थी। मामा मामचन्द की मृत्यु खुद के द्वारा फांसी लगाने से मौत हुई थी। मृतक मामचन्द को फांसी लगाते हुए कमरे में उसकी सास ब्रिजेश ने देखा था और सास के चिल्लाने पर वह व गांव के अन्य लोग कमरे के अन्दर गये तो उन्होंने देखा कि मामचन्द फांसी पर झूल रहा था और उसके गले में फंदा था। गांव वालों ने फांसी के फन्दे को काटकर उसे नीचे उतारा और उसकी मौत हो चुकी थी। उसे नहीं मालूम कि मामचन्द ने फांसी लगाकर आत्महत्या क्यों की। उसने मामचन्द को हिलाडूला कर देखा था, परन्तु उसकी सांस बन्द हो गयी थी। पत्रावली पर संलग्न शपथ–पत्र कागज सं0–14क / 5 ता 14क / 6, जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मु0नगर के समक्ष मुझ शपथकर्ता द्वारा दिनांक 07–05–2018 को पब्लिक नोटरी से नोटरी कराकर शपथ–पत्र पर अपने हस्ताक्षर करके व उस पर उसका फोटो चस्पा है, टाईपशुदा शपथ–पत्र दिया था। शपथ–पत्र उसके बोलने पर टाईप वाले ने टाईप नहीं किया था और न ही टाईप वाले ने उसे शपथ–पत्र पढकर सुनाया। उसने तो केवल हस्ताक्षर नोटरी के वकील के सामने करा दिये थे। उसे नहीं मालूम कि इस शपथ–पत्र में क्या टाईप हुआ। गवाह ने पत्रावली पर संलग्न शपथ–पत्र को देखकर अपने फोटो व हस्ताक्षर की पहचान की, जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। गवाह को शपथ–पत्र को पढकर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि शपथ–पत्र में जो कुछ भी टाईपशुदा लिखा है। वह उसके द्वारा बोलने पर टाईप वाले ने नहीं लिखा है और न ही उसे इस शपथ–पत्र में जो वाकात घटना से सम्बन्धित टाईप है। इसकी जानकारी नहीं है।

10– पी0डब्लू0–3 श्रीमति ब्रिजेश द्वारा सशपथ बयान किया गया है कि मृतक माचन्द उसका भाई था। उसका भाई मामचन्द उसके घर मलकपुरा में आता–जाता रहता था और कई दिन तक रूकता था। हाजिर अदालत मुल्जिम बाली को देखाकर गवाह ने कहा कि वह इसे जानती व पहचानती है। यह उसके गांव का रहने वाला है, जिस दिन यह घटना हुई उस दिन वह घर ही मौजूद थी। लगभग सवा से ढाई साल पुरानी घटना है। वह पढी–लिखी नहीं है, जिस महीने यह घटना घटित हुई उस समय गेहूॅ कटाई का मौसम था। उसका भाई मामचन्द शराब पीने का भी आदि था। हाजिर अदालत मुल्जिम बाली घटना वाले दिन उसके भाई मामचन्द को मारता–पीटता घर पर नहीं लाया था तथा न ही उसने उसे अपने भाई मामचन्द को घर पर छोडते हुए देखा था। क्योंकि वह घर के अन्दर कमरे में सो रही थी। थोडी देर बाद जब वह कुछ सामान लेने दूसरे कमरे में गई तो उसने देखा कि उसका भाई मामचन्द ने पंखे से फंदा लगाकर गले में लटका देखकर उसकी चीख निकल गई और उसने चिल्लाने पर गांव के आस–पडौस के लोग आ गये और उसकी बहू राधिका भी आ गयी। इन सब की मद्द से मामचन्द को फंदे से निकालकर जमीन पर लिटाया तो वह लम्बी–लम्बी सांसे ले रहा था और

बाद में उसने दम तौड दिया। उसके भाई मामचन्द ने आत्महत्या क्यों की है। उसे इसकी वजह आज तक भी मालूम नहीं है। पत्रावली पर संलग्न कागज सं0–14क / 8 ता 14क / 9 शपथ–पत्र गवाह को दिखाया, जो शपथ–पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के समक्ष उसने घटना के सम्बन्ध में दिया है। इस पर जो फोटो चस्पा है तथा उसका अंगूठा निशानी भी लगा है। जब शपथ–पत्र बना कचहरी आयी थी तथा दिंाक 07–05–2018 को उसके सामने ही वकील ने इस पर नोटरी किया था। शपथ–पत्र उसके बोलने पर टाईप वाले ने टाईप नहीं किया था और न ही टाईप वाले ने उसे शपथ–पत्र पढकर सुनाया था। उसने तो इस पर अपना अंगूठा निशानी नोटरी करते समय वकील के सामने कर दिये थे। उसे नहीं मालूम कि शपथ–पत्र में क्या टाईप हुआ है। गवाह ने पत्रावली पर संलग्न शपथ–पत्र 14क / 8 व 14क / 9 देखकर अपने फोटो व अंगूठा निशानी की शिनाख्त की, जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया। गवाह को शपथ–पत्र पढकर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि इस शपथ–पत्र में यह बात टाईप वाले ने टाईप की है कि ''उसके गांव का बाली पुत्र मान सिंह एक दबंग व शातिर किस्म का व्यक्ति है, जो उससे रंजिश रखता चला आ रहा है, जबकि उसका भाई सहायता के लिए उसके घर आते है तभी उक्त बाली उसके भाईयों के साथ गाली–गलौच कर मारपीट की घटना करता रहता है।'' यह बात उसने टाईप वाले को नहीं बोली थी तथा बाली ने उसके भाई को कई बार गांव से बाहर जाने की धमकी दी। यह बात भी उसने टाईप वालें को बोलकर नहीं लिखवाई थी तथा उसे उसकी बहू राधिका ने फोन कर सूचना दी कि बाली ने उसके भाई की हत्या कर दी है। यह बात भी उसने टाईप वालें को नहीं बतायी थी। बाली ने उसके भाई मामचन्द की हत्या गला घोटकर की है, यह बात भी उसने टाईप वालें को नहीं बोली थी। उसने टाईप वालें को यह बात नहीं बोली थी कि वह गेहू की कटाई करके शाम को घर आयी है।

11– पी0डब्लू0–4 रामेश्वर द्वारा सशपथ बयान किया गया है कि मृतक मामचन्द पुत्र प्रहलाद को जानता था। उनके गांव में अपनी बहन के यहां रहता था। वह इस मुकदमें के वादी मनोज को जानता है, जो मृतक मामचन्द का सगा भानजा है। घटना दिनांक 28–04–2018 को शाम के समय 5 बजे की है। हाजिर अदालत मुल्जिम बाली पुत्र मान सिंह को देखकर गवाह ने कहा कि वह इसे अच्छी तरह जानता व पहचानता है। हाजिर अदालत मुल्जिम बाली ने मृतक मामचन्द को उल्टा सीधा बदतमीजी करते हुए घटना वाले दिनांक को उसे यानि कि मृतक मामचन्द को उसके घर पर गेट के बाहर धमकाते हुए छोड आया था। उसे दिनांक 28–04–2018 को गांव में शौर–शराबा होने पर पता चला था कि मामचन्द ने बाली को डांट–डपट की वजह से गुस्से में आकर फंदा अपने गले में डालकर पंखे पर लटककर खुद को फांसी लगा ली थी। मामचन्द की

बहन ने शोर मचाया था। शोर सुनकर वह अन्य लोगों के साथ मौके पर गया था।

12– पी0डब्लू0–5 डा0 बाबूराम द्वारा सशपथ बयान किया गया है कि दिनांक 29–04–2018 को वह इसी पद पर तैनात था। उस दिन 3 पी0एम0 पर 10 पुलिस प्रपत्रों के साथ कां0–1276 विकास कुमार, कां0–335 कृष्णपाल शव को लेकर आये। शव मृतक मामचन्द पुत्र प्रहलाद, निवासी–घनामन, थाना–शाहपुर, जिला–मुजफ्फरनगर का था। शव के साथ मृतक मामचन्द के भाई कल्लू व मनोजद आये थे। उसके द्वारा शव को विच्छेदन प्रक्रिया 03:05 पी0एम0 पर प्रारम्भ की गयी, जो 03:40 पी0एम0 पर समाप्त हुई। शव को पोस्टमार्टम हाउस पर पुरकाजी थाने के कां0–विकास कुमार व कृष्णपाल लेकर आये थे। मृतक मध्यम व औसम कद काठी का था। उसके शरीर पर उपस्थित वस्त्रों का विवरण निम्न था:– 1 शर्ट, 1 पैन्ट कुल दो वस्त्र थे, जो सील करके साथ आये पुलिस कान्सटेबिलगण को सौंप दिये थे। मृतक की आयु लगभग 50 वर्ष थी। मृतक के शव पर मृत्यु के पश्चात की अकडन मौजूद थी। आंखे खुली हुई थी तथा लालीमा उपस्थित थे। दांत 0/2 थे। मृतक के शरीर पर बाह्य चोटों का विवरण निम्न प्रकार था।

चोट नं0–1 एक फन्दे का निशान गर्दन पर आगे व दोनों साईड में लगातार जो समान्तर था। गले पर जो फंदे के निशान का रंग था, वो भूरे रंग जैसा था, जो शोफ्ट था। गर्दन पर फंदे के निशान के नीचे स्किन के नीचे का रंग काईमोस्ड था। फंदे का निशान दाहिने कान से 5 सेमी0 नीचे व बांये कान से 6 सेमी0 नीचे तथा ठुडी से 6 सेमी0 नीचे था। फंदे के निशान का साईज 2.7 सेमी0 X 1.5 सेमी0 अधूरा था, जो गर्दन के पीछे नहीं था।

आन्तरिक परीक्षण निम्न था:– दिमाग तथा उसकी झिल्लियां कन्जेस्टिड थी। जीभ, अन्दर से गला कन्जेस्टिड था। हाईओड बोन टूटी हुई थी। खाने की नली, सांस की नली, फेफडे उसकी झिल्ली कन्जेस्टिड थी। हद्य चैम्बर बांया खाली था तथा हद्य चैम्बर दायां में खून भरा था। आंतो में मल व गैस थी और पेट खाली था। गालब्लेडर भरा हुआ था। लीवर, स्पलीन, पैनक्रियाज, किडनी कन्जेस्टिड थे। पेशाब की थैली खाली थी।

मृतक की मृत्यु का सम्भावित समय:– मृत्यु का सम्भावित समय लगभग एक दिन पहले का था।

मृत्यु का कारण:– मृतक की मृत्यु गला दबने से दम घुटने से हुई है तथा मृत्यु पूर्व, जो उसने बाह्य चोट हैं, उससे होना सम्भव है। मृतक मामचन्द की मृत्यु दिनांक 28–04–2018 को शाम के 5 बजे के करीब होना सम्भव है। मूल पोस्ट मार्टम रिपोर्ट सं0–219/18 दिनांकित 29–04–2018 पत्रावली पर संलग्न कागज सं0–10क/9 है, जो

उसके हस्तलेख में है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं और जिस पर उसका पद नाम अंकित है और पोस्ट मार्टम करते समय उसके द्वारा तैयार की गयी थी। इस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। पोस्टमार्टम के पश्चात मृतक के शव को पुलिस कान्सटेबिल विकास कुमार व कृष्णपाल के सुपुर्द कर दिया था।

13– पी0डब्लू0–6 एच0एम0 149 शिरोमणी सिंह द्वारा सशपथ बयान किया गया है कि दिनांक 28–04–2018 को वह थाना–पुरकाजी पर तैनात था। इस दिन उसकी डियूटी थाने पर कार्यलेख पर थी। दिनांक 28–04–2018 को मनोज पुत्र राजकुमार, निवासी–ग्राम मलकपुरा, थाना–पुरकाजी, मुजफ्फरनगर एक तहरीर लेकर उसके पास थाना–पुरकाजी पर आये। तहरीर अंकित कुमार पुत्र इलम सिंह, निवासी–ग्राम मलकपुरा, थाना–पुरकाजी, मुजफ्फरनगर थाना लिखी गयी थी। उक्त तहरीर के आधार पर उसके द्वारा बोल–बोल कर कम्प्यूटर ऑपरेटर अनुराना चौधरी द्वारा नकल तहरीर कम्प्यूटरीकृत टाईप करायी गयी। इसी दिन 28–04–2018 को मु0अ0सं0–149 / 2018 सरकार बनाम बाली, अन्तर्गत धारा–306, 323 भा0द0सं0 का खुलासा जी0डी0 नं0–41 दिनांक 28–04–2018 समय 21:32 बजे किया गया। उक्त मुकदमें से सम्बन्धित एफ0आई0आर0 आज उसके सामने पत्रावली पर कागज सं0–4क / 1 ता 4क / 2 है, जिस पर थानाध्यक्ष पुरकाजी के हस्ताक्षर हैं व उनका पदनाम अंकित है। इस पर प्रदर्श क–6 डाला गया। उक्त मुकदमें से सम्बन्धित जी0डी0, जिसमें इसका खुलासा किया गया था, जो पत्रावली के कागज–7 है तथा इस पर थाना–पुरकाजी की मोहर अंकित है, जो सी0सी0टी0एन0एस0 पर कम्प्यूटर पर उसके द्वारा किता की गयी थी, जो सी0सी0टी0एन0एस0 की असल की कम्प्यूटरीकृत प्रति है, जिस पर उसके सुक्ष्म हस्ताक्षर व पदनाम अंकित है, जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया।

14– पी0डब्लू0–7 तेजवीर सिंह द्वारा सशपथ बयान किया गया है कि दिनांक 28–04–2018 को वह उप निरीक्षक के पद पर थाना–पुरकाजी, मु0नगर में नियुक्त था। इसी दिन उसे मु0अ0सं0–149 / 2018, धारा–306, 323 भा0द0सं0 सरकार बनाम बाली की विवेचना प्राप्त हुई। मुकदमा वादी मनोज कुमार की तहरीर पर उसकी मौजूदगी में पंजीकृत हुआ था। विवेचना प्राप्त होने के बाद उसके द्वारा नकल चिक / नकल रपट प्राप्त कर विवेचना प्रारम्भ की गयी। नकल चिक / नकल रपट प्राप्त कर थाना कार्यालय से पंचायतनामा एवं अन्य कागजात लेकर वह हमराह कास्टेबिल विकास एवं कृष्णपाल के साथ मौके पर ग्राम मलकपुरा गया था। वादी के मामा मामचन्द का शव वादी के घर के कमरे में बैड / चारपाई पर पडा था, जो कपडे से ढका था। छत के पंखे से बंधा अंगोच्छा पंखे से बंध हुआ था, जो आधा कटा हुआ था। मौके पर काफी भीड थी। मुझ उ0नि0 द्वारा मौके पर पंच नियुक्त कर पंचायतनामें की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

पंचायतनामा की कार्यवाही पूर्ण कर मृतक मामचन्द के शव को पोस्टमार्टम हेतु कां0 विकास एवं कां0 कृष्णपाल के सुपुर्द कर, वह पंचायतनामा पोस्टमार्टम हेतु सील सर्वे मोहर कर एक छोटा हाथी द्वारा मौके से शव–विच्छेदन गृह भेजा गया था। इसके पश्चात इसी दिन उसके द्वारा वादी मनोज कुमार के बयान अंकित सी0डी0 किये गये तथा वादी की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था तथा मौके की नक्शा–नजरी तैयार की गयी थी। नक्शा–नजरी उसके हस्तलेख में है तथा इस पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा संकेत के चिन्ह अंकित है। नक्शा–नजरी आज पत्रावली पर उसके सामने मौजूद है। नक्शा–नजरी पत्रावली पर संलग्न कागज सं0–11क है, जिस पर प्रदर्श क–8 डाला गया है, जो मौके के अनुसार सही है। इसी दिन उसके द्वारा जो पंचायतनामा भरा गया था। उसमें सतपाल, चरण सिंह, मिन्टू, विपिन कुमार व प्रताप सिंह को पंच नियुक्त कर भरा गया था। पंचायतनामा भी उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में है तथा जिस पर थाना–पुरकाजी की मोहर अंकित है। पंचायतनामा पत्रावली पर संलग्न कागज सं0–10क / 2 ता 10क / 3 है। इस पर प्रदर्श क–9 डाला गया है। पत्रावली पर संलग्न कागज सं0–10क / 1 चिट्ठी आर0आई0 है। इस पर प्रदर्श क–10 डाला गया। इसी दिन उसके द्वारा फोटो नाश तैयार किया गया था, जो पत्रावली पर संलग्न कागज सं0–10क / 4 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। इस पर प्रदर्श क–11 डाला गया है। इसी दिन उसने शव का पी0एम0 कराने के लिए सी0एम0ओ0 को रिपोर्ट प्रेषित की गयी थी, जो उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में है तथा जिस पर थाना–पुरकाजी की मोहर अंकित है। चिट्ठी सी0एम0ओ0 पत्रावली पर संलग्न कागज सं0–10क / 5 है। इस पर प्रदर्श क–12 डाला गया है। चिट्ठी आर0आई0 पत्रावली पर संलग्न कागज सं0–10क / 5 / 1 है, जो उसके हस्तलेख में है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है, जिस पर प्रदर्श क–10 पूर्व में डाला गया है। चालान प्रपत्र–39 नाश पत्रावली पर संलग्न है, जो उसके हस्ताक्षर में है और जिस पर उसका पदनाम व उसके हस्ताक्षर है, जिस पर प्रदर्श क–11 / 1 डाला गया है। पंचायतनामा पर पंचों की राय ली गयी थी। वादी के द्वारा अपने धारा–161 द0प्र0सं0 के बयान में एफ0आई0आर0 का पूर्ण समर्थन किया था। सी0डी0 का पर्चा नं0–2 दिनांक 30–04–2018 अभियुक्त बाली की गिरफ्तारी से सम्बन्धित है। पर्चा नं0–2ए को गिरफ्तारशुदा अभियुक्त बाली के बयान मुझ विवेचक द्वारा लेकर सी0डी0 में अंकित किये थे, जिसमें उसने जुल्म का इकबाल किया था। पर्चा नं0–3 दिनांकित 06–05–2018 में मृतक मामचन्द के पंचायतनामें व पी0एम0 रिपोर्ट की नकल सी0डी0 में उसके द्वारा अंकित की गयी थी। पर्चा नं0–4 दिनांकित 08–05–2018 में विवेचना के दौरान उपरोक्त मुकदमें से सम्बन्धित जिन व्यक्तियों के द्वारा शपथ–पत्र कप्तान साहब के यहां दिये गये थे, वो उसे थाना कार्यालय से प्राप्त

हुए थे, जिनका कार्यालय से प्राप्त हुए थे, जिनका अवलोकन करते हुए उसने उन्हें संलग्न सी0डी0 किया था तथा दो शपथकर्तागण करतार सिंह पुत्र गुलाब सिंह, निवासी–मलकपुरा, थाना–पुरकाजी, मुजफ्फरनगर एवं प्रितम सिह पुत्र गुलाब सिंह, निवासी–उपरोक्त के बयान लेकर सी0डी0 में अंकित किये गये थे। पर्चा नं0–5 दिनांक 11–05–2018 में उसके द्वारा वादी मुकदमा मनोज कुमार व वादी मुकदमा की पत्नी राधिक एवं वादी मुकदमा की माता श्रीमति ब्रिजेश के शपथ–पत्र जो थाना कार्यालय से प्राप्त हुए थे। उनका अवलोकन करते हुए, उनकी नकल सी0डी0 में उसके द्वारा अंकित की गयी थी तथा पर्चा नं0–6 दिनांक 16–05–2018 में शपथकर्तागण पंकज कुमार पुत्र जनेश्वर, रामेश्वर पुत्र नारायण मिन्टू पुत्र प्रकाश समस्त निवासीगण–ग्राम मलकपुरा, थाना–पुरकाजी, जिला–मुजफ्फरनगर के बयान लेकर सी0डी0 में अंकित किये थे तथा पर्चा नं0–7 में दिनांक 25–07–2018 को शपथकर्तागण बिजेन्द्र, शीले सिंह, प्रमोद कुमार, पप्पू, रघुवीर, सुरेश, पीतम के बयान लेकर सी0डी0 में अंकित किये थे तथा इसी दिन वादी मुकदमा मनोज कुमार के पुनः मजीद बयान उसके घर जाकर मुझ विवेचक द्वारा लिये गये थे, जिसमें अपने मजीद बयान में अभियुक्त बाली के द्वारा उसके मामा के साथ मारपीट करने एवं इसके कारण बेइज्जती समझकर अपने मामा मामचन्द के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने की बात बतायी थी तथा अन्य जानकारी भी दी थी, जो मजीद बयान में विस्तृत रूप में उल्लेखित है। पर्चा नं0–8 दिनांक 02–06–2018 में मुझ विवेचक द्वारा वादी मुकदमा की पत्नी श्रीमति राधिका एवं माता श्रीमति ब्रिजेश के बयान शपथ–पत्र के सम्बन्ध में उनके घर ग्राम–मलकपुरा में जाकर सी0डी0 में अंकित किये थे, जिन्होंने अपने बयानों में प्रदर्श क–3 व प्रदर्श क–4 के अनुरूप अपना बयान दर्ज कराया था और शपथ–पत्रों को स्वयं देना बताया था तथा पुरी बात शपथ–पत्र में वर्णित होना बताया तथा तथा एफ0आई0आर0 का पूर्ण समर्थन किया था। दिनांक 28–06–2018 को मेरे द्वारा विवेचना के दौरान संकलित किये गये साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त बाली पुत्र मान सिंह, मलकपुरा, थाना–पुरकाजी, मुजफ्फरनगर के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए विवेचना पूर्ण करते हुए आरोप–पत्र संख्या–207 दिनांक 28–06–2018, धारा–306, 323 भा0द0सं0 के अन्तर्गत न्यायालय में प्रेषित किया गया था। मूल आरोप–पत्र कम्प्यूटराईज्ड पत्रावली पर संलग्न कागज सं0–3क/1 ता 3क/3 है, जिस पर मेरा पदनाम अंकित है और उसके हस्ताक्षर है और प्रभारी अधिकारी थाना–पुरकाजी के भी हस्ताक्षर व तिथि 28–06–2018 अंकित है, जिस पर प्रदर्श क–13 डाला गया है। पत्रावली पर संलग्न गिरफ्तारी प्रपत्र कागज सं0–12क है, जो उसके हस्तलेख में है और जिस पर उसके हस्ताक्षर व तिथि 30–04–2018 अंकित है और जो अभियुक्त बाली की गिरफ्तारी से सम्बन्धित है, जिस पर प्रदर्श क–14 डाला गया है। प्रदर्श क–13 दौरान

गिरफ्तारी स्थल पर उसके द्वारा तैयार किया गया था। अभियुक्त बाली के गिरफ्तारी से सम्बन्धित जी0डी0 नं0–40 दिनांक 30–04–2018 समय 19:19 दाखिल है, से सम्बन्धित है, जो सी0सी0टी0एन0एस0 पर कम्प्यूटर पर कार्यलेख पर तैनात का0 क्लर्क रोदाश सिंह के द्वारा दर्ज की गयी थी, जिस पर पत्रावली में संलग्न कागज सं0–9क डाला हुआ है, जिस पर रोदाश सिंह का पदनाम अंकित है और थाना–पुरकाजी की मोहर अंकित है और रोदाश सिंह के सुक्ष्म हस्ताक्षर हैं, जिस पर प्रदर्श क–15 डाला गया है।

15– दिनांक 03–01–2024 को न्यायालय द्वारा अभियुक्त बाली के बयान अन्तर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 अंकित किये गये, जिसमें अभियुक्त द्वारा तहरीर व विवेचक द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र के विषय में कुछ न कहना, गलत आरोप–पत्र दाखिल करना, अन्य साक्षीगण के बयान के विषय में कुछ न कहना, गलत विवेचना करना, झूठा मुकदमा चलाया जाने का कथन करते हुए, सफाई साक्ष्य न देने का कथन किया गया है।

16– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन द्वारा कोई भी विश्वसनीय साक्षी इस मामले में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध विरचित आरोप युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित होता हो। वास्तव में इस मामले में घटना का कोई भी विश्वसनीय चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है, न ही किसी साक्षी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध कोई साक्ष्य दिया गया है। अभियुक्त द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है, वह पूर्णतया निर्दोष है। ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाये।

17– सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए कथन किया कि साक्षीगण को परीक्षित कराकर, उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप को साबित किया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार सिद्ध है।

18– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन किया।

19– पत्रावली के सम्यक निस्तारण हेतु निम्न अवधार्य प्रश्न निर्धारित किये जाते हैं:–

(1) क्या अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा के मामा मृतक मामचन्द के साथ मारपीट कर बेईज्जत कर, उसको आत्महत्या के लिए उकसाया गया, जिस कारण मामचन्द द्वारा आत्महत्या की गयी?

20– उपरोक्त विवाद्यक के निस्तारण हेतु सर्वप्रथम यह देखा जाना है कि क्या अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा के मामा मृतक मामचन्द के साथ मारपीट कर बेईज्जत कर, उसको आत्महत्या के लिए उकसाया गया, जिस कारण मामचन्द द्वारा आत्महत्या की

गयी? उपरोक्त के सम्बन्ध में साक्षी पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा का बयान अति महत्वपूर्ण है। पी0डब्लू0–1 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि अभियुक्त बाली ने उसके मामा को अन्दर कमरे में ले जाकर गला घोटकर मार दिया। उपरोक्त साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि उसके मामा नशा करने के आदि थे, शराब पीते थे और उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। साक्षी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि घटना वाले दिन वह घर पर मौजूद नहीं था और न ही उसने घटना देखी थी। उक्त साक्षी ने अभियुक्त बाली को उसके मामा को पीटते हुए घर लाने की घटना को भी नहीं देखा था। साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया गया है कि मुख्य परीक्षा में उसके द्वारा किया कथन कि ''अभियुक्त बाली ने उसके मामा मामचन्द का गला घोटकर मार दिया'' उसके द्वारा नहीं किया गया था। उपरोक्त बात शपथ–पत्र में कैसे लिखी गयी, वह नहीं बता सकता। साक्षी द्वारा किये गये उपरोक्त कथन से घटना मिथ्या प्रतीत होती है तथा प्राथमिकी में किये गये कथन को बल नहीं मिलता है।

21– पी0डब्लू0–2 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि अभियुक्त बाली द्वारा मृतक मामचन्द के साथ कोई मारपीट व गाली–गलौच नहीं की गयी तथा मामचन्द की मृत्यु खुद के द्वारा फांसी लगाने से हुई। मृतक मामचन्द को फांसी लगाते समय कमरे में उसकी सास ब्रिजेश ने देखा था। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा साक्षी से विस्तृत जिरह की गयी। साक्षी के दिये गये साक्ष्य के पूर्ण आंकलन से घटना का कोई समर्थन नहीं होता है।

22– पी0डब्लू0–3 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि अभियुक्त बाली द्वारा मृतक मामचन्द के साथ कोई मारपीट व गाली–गलौच नहीं की गयी तथा मामचन्द की मृत्यु खुद के द्वारा फांसी लगाने से हुई। उपरोक्त साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि मृतक मामचन्द द्वारा पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या की गयी। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा उपरोक्त साक्षी से भी विस्तृत जिरह की गयी। साक्षी के दिये गये साक्ष्य के पूर्ण आंकलन से घटना का कोई समर्थन नहीं होता है।

23– पी0डब्लू0–4 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि दिनांक 28–04–2018 को गांव में शोर–शराबा होने पर पता चला था कि मामचन्द ने बाली की डांट–डपट की वजह से गुस्से में आकर फांसी लगा ली थी। पी0डब्लू0–4 के उपरोक्त बयान से स्पष्ट है कि उपरोक्त साक्षी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है तथा उसके द्वारा अभियुक्त बाली को मृतक के साथ कोई मारपीट व गाली–गलौच करते नहीं देखा था।

24– तथ्य के उपरोक्त सभी साक्षीगण के साक्ष्य के विश्लेषण से घटना सत्य प्रतीत नहीं होती है तथा अभियुक्त पर लगाये गये आरोप निराधार प्रतीत होते हैं।

25– पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के सम्यक परिशीलन से यह सिद्ध है कि अभियोजन ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत करने में विफल रहा है, जिससे कि घटना में किसी भी प्रकार की सत्यता प्रतीत हो।

26– प्रस्तुत अभियोग में अभियोजन अभियुक्त बाली के विरूद्ध आरोप को साबित नहीं कर सका है तथा इन परिस्थितियों में अभियुक्त बाली पुत्र मानसिंह, निवासी–ग्राम मलकपुर, थाना–पुरकाजी, जिला–मुजफ्फरनगर उक्त सत्र परीक्षण सं0–589/2019, मु0अ0सं0–149/2018, अन्तर्गत धारा–306, 323 भा0द0सं0, थाना–पुरकाजी, जिला–मुजफ्फरनगर में तय आरोप से अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त बाली के विरूद्ध आरोप को साबित नहीं कर सका है तथा इन परिस्थितियों में अभियुक्त बाली पुत्र मानसिंह, निवासी–ग्राम मलकपुर, थाना–पुरकाजी, जिला–मुजफ्फरनगर उक्त सत्र परीक्षण सं0–568/2019, मु0अ0सं0–149/2018, अन्तर्गत धारा–306, 323 भा0द0सं0, थाना–पुरकाजी, जिला–मुजफ्फरनगर में तय आरोप से अभियुक्त दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर है, उसके जमानतनामें एवं व्यक्तिगत बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

दोषमुक्त अभियुक्त द्वारा धारा–437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत मु0 25,000–25,000/ रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि की दो जमानतें अन्दर सप्ताह दाखिल करें। कथित जमानतनामें अग्रिम 6 माह की अवधि के लिए प्रभावी रहेंगे।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(अनुराग पंवार)
I.D. UP 2638
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–4/
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट),
मुजफ्फरनगर।

दिनांकः 02–07–2026

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित करके खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(अनुराग पंवार)
I.D. UP 2638
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–4/
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट),
मुजफ्फरनगर।

दिनांकः 02–07–2026